

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 1658/2017
कृष्णगोपाल उर्फ भूरा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक :

09.05.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री एस एस हसन, अधिवक्ता— याचीगण की ओर से।
श्री जीतेन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक।

प्रकरण दो सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे, तब तक पूर्व में पारित
अन्तरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति